

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 488-एक/2011 विरुद्ध आदेश दिनांक 12-12-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 203/पुनरीक्षण/2006-07.

मोतीलाल खत्री, अध्यक्ष
सर्वानन्द नगर रहवासी संघ मर्यादित
इंदौर निवासी-111 जयरामपुर कॉलोनी
इंदौर म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1-अश्विन पुत्र श्री चन्द्रसिंह मेहता
निवासी 31 शिवशक्ति नगर इंदौर म0प्र0
- 2-श्रीमती सीमा पत्नी श्री सौभागमल जैन
निवासी 31 शिवशक्ति नगर इंदौर म0प्र0
- 3-जितेन्द्र पुत्र श्री सूरजप्रकाश धवन
निवासी मनीषपुरी एक्सटेंशन इंदौर
- 4-इंद्रजीत सिंह पुत्र त्रलोकसिंह
निवासी 58 पलसीकर कॉलोनी इंदौर म0प्र0
- 5-गुरनामसिंह पुत्र श्री हरभजनसिंह धारीवाल
अध्यक्ष सर्वानंद नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर
निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग, ए.बी.रोड इंदौर
- 6-म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री प्रभातसिंह जादौन, अभिभाषक-आवेदक
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक-अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक- अनावेदक क्रमांक 6

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/11/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।





2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिपल्याराव तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 171/2/2 रकबा 1.588 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 171/1/1 क्षेत्रफल 0.303 हेक्टेयर एवं सर्वे 173/2/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में आवेदक संस्था के नाम से दर्ज थी । आवेदक संस्था के अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त भूमि में से 1.741 हेक्टेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 21-2-2006 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ की जाकर दिनांक 27-6-2007 को अनावेदकगण को कारण बताओं सूचना जारी किया गया । कार्यवाही के दौरान आवेदक संस्था द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2-7-07 को अंतरिम आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के उपरोक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध निगरानियों अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-12-2007 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर के दोनों आदेश निरस्त करते हुये उनके द्वारा प्रारंभ की गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही भी समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा अभिलेख पर आधारित होकर विधि विषयक स्पष्ट आधारों पर निष्कर्ष निकाले गये थे जिनके विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही किये जाने संबंधी मात्र सूचना पत्र जारी किया गया था जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से प्रचलित सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा




गया कि आवेदक संस्था को भूमि इस शर्त पर आवंटित की गई थी कि वे भूखण्डों का विक्रय केवल संस्था के सदस्य को ही करेंगे, अन्यथा विक्रय पत्र शून्य हो जायेगा अतः आवेदक संस्था द्वारा सभी शर्तों का पालन किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक संस्था प्रश्नाधीन समिति का सदस्य होने के नाते व प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है, इसके बावजूद भी उसके पक्षकर बनने के आवेदन पत्र को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।


4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि समिति द्वारा विधिवत् पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को किया गया है और उनका नामान्तरण करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है इसके बावजूद भी अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से तहसील न्यायालय के आदेश को निगरानी में लेने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है और अपीलीय आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में अपर कलेक्टर द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई थी, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही भी निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, अतः आवेदन पत्र निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

5/ अनावेदक क्रमांक 4 एवं 5 के विरुद्ध प्रकरण में अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ अनावेदक क्रमांक 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

7/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 2005-06 में






आवेदक संस्था सर्वानन्द नगर रहवासी संघ मर्यादित इंदौर के नाम दर्ज थी । संस्था की भूमि को विक्रय करने का अधिकार संस्था के अध्यक्ष को नहीं था, इसके बावजूद भी उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को विक्रय की गई है और ऐसे विधि विपरीत विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 का नामान्तरण स्वीकृत करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा रहवासी संघ के अध्यक्ष को पक्षकार बनाने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि प्रकरण में रहवासियों के अधिकार प्रभावित होते हैं । उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की जा रही थी जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

9/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 489-एक/2011(मोतीलाल खत्री विरुद्ध परमजीसिंह पिता हरभजनसिंह एवं अन्य) निगरानी प्रकरण क्रमांक 490-एक/2011 (मोतीलाल खत्री विरुद्ध रणवीरसिंह पिता इंदरसिंह छाबड़ा एवं अन्य) निगरानी प्रकरण क्रमांक 491-एक/2011 (मोतीलाल खत्री विरुद्ध सुधीर पिता रवीकान्त तिवारी एवं अन्य) निगरानी प्रकरण क्रमांक 492-एक/2011 (मोतीलाल खत्री विरुद्ध रणवीरसिंह पिता इंदरसिंह छाबड़ा एवं अन्य) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर